पत्रांक 4340/आयु0करउत्तरा0 / **GSTN(IT)** / देहरादून / 2016–17

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक::01 नवम्बर, 2016

/ / आदेश / /

(वर्तमान पंजीकृत करदाताओं के Data Migration के सम्बन्ध में)

आप सभी अवगत है कि दिनांक 01.04.2017 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में नई कर प्रणाली के रूप में GST का क्रियान्वयन प्रस्तावित है और इस हेतु राज्य स्तर पर तैयारियॉ की जा रही है। इसी क्रम में वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग के साथ पंजीकृत समस्त करदाताओं, जिनको कि GST में भी पंजीकृत रहते हुए व्यवसाय करना है, से सम्बन्धित Data का Migration किया जाना है, जिससे वर्तमान पंजीकृत करदाताओं को GSTN द्वारा GST enrollment हेतु नया पंजीयन संख्या GSTIN आवंटित किया जा सके और करदाता अपना व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित कर सके।

प्रस्तावित GST कर प्रणाली में व्यवसाय करने हेतु वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत करदाताओं को GSTIN एवं password की आवश्यकता होगी। इसी उद्‌देश्य से प्रारम्भ में, विभाग द्वारा करदाताओं को provisional id एवं password उपलब्ध कराया जायेगा जिसका प्रयोग कर करदाता अपने व्यवसाय का GST हेतु enrollment करते हुए GSTIN प्राप्त कर सकेंगे।

अतः Data Migration की उपरोक्त प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग द्वारा आंवटित की जा रही Provisional User ID एवं Password सम्बन्धित करदाता तक पहूँच जाए, विभाग द्वारा प्रत्येक करदाता के Log In Account में Contact Details Update करने हेतु एक Utility उपलब्ध करायी गई है। इस Utility में प्रत्येक करदाताओं को अपना चालू Mobile no एवं e-mail ID दर्ज करना है, जिस पर उसे विभाग द्वारा Provisional User ID एवं Password प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस Utility में वैकल्पिक रूप से Tax Consultant/ Practioner के Contact Details दर्ज करने की व्यवस्था भी की गई है।

उपरोक्त प्रक्रिया में करदराताओं एवं कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर निम्न प्रकार कार्यवाही की जानी है–

1– **करदाताओं के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) विभागीय application site http://comtaxappl.uk.gov.in पर जाकर अपने TIN & Password के माध्यम से अपने Log in Account पर Login करें।

(ii) Log in Account में उपलब्ध "Contact Detail Updation Form for GST" में अपना एवं अपने कर सलाहकार (यदि कोई हो) का मोबाईल नम्बर एवं e-mail ID दर्ज करें।

(iii) दर्ज किये गये मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) को यथास्थान दर्ज करें।

–2.........

(iv) "SUBMIT" के बटन पर क्लिक करें तथा दर्ज की गयी सूचनाओं का प्रिन्ट आउट लें।

(v) प्रिन्ट आउट पर यथास्थान हस्ताक्षर कर एवं मोहर लगाकर अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायें तथा रसीद प्राप्त करें।

उपरोक्तानुसार प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्यवाही की सूचना करदाता को SMS द्वारा प्राप्त होती रहेगी।

2– कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

(i) अपने User ID & Password का प्रयोग कर अपने web log in Account पर Login करें।

(ii) यहाँ उपलब्ध Option GST VALIDATION पर Click करें तथा "Validate Contact Details" पर जाकर Application Number दर्ज करें।

(iii) Application no. दर्ज कर "Submit" बटन दबाते ही स्क्रीन पर करदाता डाटा दर्ज किया गया विवरण प्रदर्शित होने लगेगा।

(iv) दर्ज किये गये विवरण से संतुष्ट होने पर Validate का बटन दबायें, Contact Details विभागीय/वैबसाईट पर Update हो जायेंगे।

(v) व्यापारी द्वारा दर्ज किये गये विवरण से असंतुष्ट होने की स्थिति में Reject का विकल्प चयन कर उचित Reason/Remark दर्ज करते हुए Application Reject करें।

(vi) Application Reject करने की स्थिति में करदाता को पुनः भिन्न Contact details वैबसाईट पर अपडेट करने होंगे।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्यवाही की सूचना करदाता को SMS द्वारा प्राप्त होती रहेगी।

उक्त कार्यवाही प्रत्येक करदाता के स्तर पर की जानी है। समस्त करदाताओं से अपेक्षित है कि कृपया अपने contact details शीघ्रातिशीघ्र update कर दें, जिससे कि बिना किसी बाधा के नई कर प्रणाली GST में switch-over किया जाना संभव हो सके। कृपया यह भी नोट करें कि भविष्य में GST credentials के साथ–साथ विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित e-trip sheet इत्यादि से संबंधित सूचनाएँ/SMS भी करदाता को अपडेटेड Contact Details पर ही प्रेषित किये जायेंगे।

उपरोक्त कार्य दिनांक 30.11.2017 तक किसी भी दशा में पूर्ण कर लिया जाना है, जिससे कि Data Migration का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिया जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4350 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून
3. अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/हल्द्वानी।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्र0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियॉ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स रिव्यू/एस0टी0एफ) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/काशीपुर।
8. श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर–1, हरिद्वार एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
9. आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
10. Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनेजर, IInd Gloot 13- आर0 सिंधुआ मार्ग, मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।
11. डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
12. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
13. प्रान्तीय उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
14. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़, देहरादून।
15. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81– मोती बाजार देहरादून।
16. The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार, देहरादून।
17. प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5, गांधी ग्राम, देहरादून।
18. कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
19. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।